अध्याय X : भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय

10.1 भारतीय समुदाय कल्याण योजना के लिए आत्मनिर्भर समग्र निधि का सृजन न किया जाना

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय समुदाय कल्याण योजना हेतु संचित किए गए ₹ 23.95 करोड़ की आत्मनिर्भर समग्र निधि का सृजन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.00 करोड़ तक की राशि के ब्याज का नुकसान हुआ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2012-13 के प्रतिवेदन संख्या 13 के पैरा 3.1.2 से पता चला था कि 17 मिशनों तथा पोस्टों में "भारतीय सुमुदाय कल्याण निधि योजना" के कार्यान्वयन में विलंब के कारण अतिरिक्त शुल्क के रूप में ₹ 15.29 करोड़ की राशि संचित नहीं की गई थी।

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय (भा.प्र.का.मं.) प्रशासनिक मंत्रालय है, जो कि भा.स.क.नि.यो. हेतु आवश्यक राजस्व सृजन तथा व्यय सहित सभी संबंधित मुद्दों को मॉनीटर एवं परिचालन हेतु दिशानिर्देश जारी करता है।

दिसम्बर 2010 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना का उद्देश्य संकटग्रस्त भारतीय प्रवासी नागरिक कल्याण गतिविधियों हेतु आकस्मिकता व्यय की पूर्ति करना था। योजना के लिए अपेक्षित निधियों का सृजन भारतीय मिशनों द्वारा वाणिज्यदूत संबंधी सेवाओं पर सेवा प्रभार द्वारा, भारतीय समुदाय द्वारा स्वैच्छिक अंशदान तथा भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय के बजटीय सहायता के माध्यम से किया जाएगा। शुरू में, बजटीय सहायता तीन वर्ष के लिए थी या फिर जब तक निधि आत्मनिर्भर हो जाए, जो भी पहले हो समग्र निधि[1] अपनी स्थापना के तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर आत्मनिर्भर होने के लिए अभिप्रेत थी। इसके अतिरिक्त, विदेशी मामलों पर स्थायी समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में भा.स.क.नि. की कार्यपद्धति पर चिंता व्यक्त की, और प्रत्येक मिशन/पोस्ट में अंशदान तथा बजटीय सहायता द्वारा कुल संचित निधि की स्थिति, लाभान्वित श्रमिकों की संख्या तथा प्रत्येक स्थान पर हुए व्यय के बारे में जानना चाहा (मार्च 2011)। योजना में समग्र निधि का प्रावधान बनाते हुए उन्होंने इस बात को दोहराया ताकि संकट में श्रमिकों को निधि की कमी के कारणवश परेशानी न उठानी

[1] समग्र निधिः निधि का अर्थ है एक स्थायी निधि जिसको संगठन के अस्तित्व एवं प्रशासन हेतु अपेक्षित मूल व्यय के लिए रखा गया हो।

पड़े। भा.स.क.नि. के अंतर्गत समग्र निधि का सृजन करने की जिम्मेदारी भा.प्र.का.मं. की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 मिशनों एवं पोस्ट में, भा.स.क.नि. लेखाओं के अंतर्गत, मार्च 2012 तक ₹ 23.95 करोड़ संचित किया गया था। इन मिशनों में किसी ने भी अभी तक संचित राशियों में से समग्र निधि का सृजन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, यह शेष राशियाँ भा.स.क.नि. के चालू खातों में से दो माह से लेकर बाइस महीनों तक भिन्न अवधियों तक निष्क्रिय पड़ी रही थी। मिशनों ने इसमें से ₹ 76.95 लाख का उपयोग किया था (मार्च 2012 - **अनुबंध 12**)। इस प्रकार, किसी भी आपातिक आवश्यकता के बिना चालू खातों में राशि को रखकर, मंत्रालय ने ब्याज द्वारा ₹ 1.00 करोड़ के अतिरिक्त निधि को प्राप्त करने के अवसर को गंवाया था (मार्च 2012)। साथ ही संकट में श्रमिकों के कल्याण हेतु स्थायी निधि के सृजन का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

मामला मई 2013 में भा.प्र.का.मं. को भेजा गया था, उनका उत्तर जून 2013 तक प्रतीक्षित था।